# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़, जयपुर

~~दावा~~ बनाम मूलचन्द

~~दावा~~ 174/2021

सूचना संख्या/वर्ष

| क्र०सं० | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष दि |
|---|---|---|---|
| | 14/3/23 | [illegible] 31/3/23 | |
| | 31/3/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 4/4/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़, जिला-जयपुर | |
| | 04/04/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० वकील उभय पक्षों की दिनांक 31/3/23 को बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रा० पत्र में अंकित बातों को वाकिफ करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी गणों को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम चारणवास की काली पहाड़ी में स्थित खसरा नम्बर 309 रकबा 0.9600 है० में आने जाने हेतु पत्रावली नक्शे अनुसार 6.00 मी० 303, 327 में से होकर गेट पु० तक अंकित करने के आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी गण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रा० राजस्व | |

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़, जिला-जयपुर

# फर्द अहकाम

रवेवाराम वगैरह बनाम मूलचन्द वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 174/2021

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष टि |
|---|---|---|---|
| | | की खातेदारी स्कूल के नाम है जिसमें से सारा दिया जाना नाम विरुद्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। तथा अप्रार्थी नं. 3 ने अपने जवाब में अंकित बिन्दुओं का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण के खसरा नं. 327 किस्म गैर मु० स्कूल (फील्ड) के खातेदारी शिक्षा विभाग रा. उ. प्रा. वि० चारणवास की काली पहाड़ी को दुरुस्त जाना अंकित होगा। अतः वकील उभय पक्षों को सुनकर सरकारी बहस का मनन किया नक्शा जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र को गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 को गुणावगुणों के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। जमाबन्दी कोलम शुमार होकर नकल ले कर ले तथा बाद प्रति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला—जयपुर